न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 155/2013
पंजीयन दिनांक 18.10.2013

गुमानसिंह पिता स्वर्गीय राजसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जनसिंह जी की चौकीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम **–अपीलांट**

(1). भंवरकवंर पत्नी स्वर्गीय राजसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जन सिंह जी की चौकीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय–
1/1. मिठ्ठुकंवर पुत्री राजसिंह पत्नी नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बानीणा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
1/2. नन्दाकुंवर पुत्री राजसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी लाम्बीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(2). भंवरसिंह उर्फ रणजीतसिंह पिता स्वर्गीय राजसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जन सिंह जी की चौकीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(3). शंकरसिंह पिता स्वर्गीय राजसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जन सिंह जी की चौकीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(4). रामकंवर पत्नी भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जन सिंह जी की चौकीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(5). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब गंगरार तहसील गंगरार थ्जला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 101/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2013

उपस्थित वक्त बहस–(1). दिनेश दायमा–अधिवक्ता अपीलांट
(2). चम्पालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
(3). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 17.11.2022

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजीयात मौजा गंगरार तहसील गंगरार की खाता संख्या 673 मे दर्ज आराजी संख्या 3434, 3435, 3436, 3442 कुल किता 4 कुल रकबा 2.51 हैक्टेयर व खाता संख्या 674 मे दर्ज आराजी संख्या 3433/1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 672 मे दर्ज आराजी संख्या 3363, 3438, 3439 कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। वादपत्र मे वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 का पारिवारिक सजरा भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूलपुरूष राजसिंह के पुत्र भंवरसिंह उर्फ रणजीतसिंह , शंकरसिंह , गुमानसिंह व पत्नी भंवर कवंर है। राजसिंह मूलतः ग्राम धोली का निवासी था लेकिन अपने ससुराल ग्राम गंगरार के सज्जनसिंह के कोई पुरूष संन्तान नहीं होने से सज्जनसिंह जी के एकमात्र सन्तान भंवरकंवर होने से बचपन मे ही ग्राम गंगरार मे सज्जनसिंह के गोदपुत्र रखने से यही निवास कर रहे थे। राजसिंह की मृत्यु सज्जनसिंह के जीवनकाल मे ही हो गई थी तत्पश्चात सज्जनसिंह की मृत्यु हुई। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात सज्जनसिंह के जीवनकाल की होकर विरासत से प्राप्त हुई है। ग्राम गंगरार के अन्य खातों मे भी वादी अपीलांट का हक हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है लेकिन वादपत्र की कलम संख्या 1 की उप कलम अ एवं ब में अंकित आराजीयात को अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर देने व वादपत्र की कलम संख्या 1 की उप कलम स में अंकित आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम दर्ज कर दिया है जिसका प्रविवादी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर गलत व अवैध रूप से वादी अपीलांट को उसके हक हिस्से से वंचित रखने के उद्देश्य से दिनांक 25.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष मे आराजी संख्या 3435 रकबा 0.41 हैक्टेयर व आराजी संख्या 3436 रकबा 0.46 हैक्टेयर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 3439 रकबा 0.04 हैक्टेयर हिस्सा 1/6 विक्रय कर दी, तथा अन्य आराजीयात भी विक्रय करने पर तत्पर है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत से पिता सज्जनसिंह से प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजीयात है जिसमे वादपत्र की कलम संख्या 1 की उप कलम संख्या अ,ब,स मे अंकित आराजीयात मे वादी अपीलांट का 1/4 हक हिस्सा निहित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वादी अपीलांट का विवादित कृषि आराजीयात मे जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस कारण वादग्रस्त कृषि आराजीयात मे वादी अपीलांट का 1/4 हक हिस्से की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष मे निष्पादि तथाकथित विक्रय पत्र वादी अपीलांट के हक हिस्से तक शून्य व बेअसर घोषित किया जावे व विकित आराजीयात प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे से वादी अपीलांट के हक हिस्से मे समायोजित की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 दौराने वाद उक्त आराजीयात को विक्रय कर दे तो ऐसा विक्रय पत्र शून्य व बेअसर घोषित किया जावे। अन्त मे मौजा गंगरार तहसील गंगरार की आराजी संख्या 3434, 3435, 3436, 3442 रकबा 2.51 हैक्टेयर व आरजी संख्या 3433/1 रकबा 0.77 हैक्टेयर व आराजी संख्या 3363, 3438, 3439 रकबा 0.47 हैक्टेयर मे वादी अपीलांट का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। दिनांक 18.04.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए एवं साक्ष्य वादी मे गुमान सिहं, मोहन सिंह व दलपत सिंह के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 31.07.2013 को बहस सुनी जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित नहीं होना मानकर वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गंगरार की खाता संख्या 673 मे दर्ज सम्पूर्ण आराजीयात कुल रकबा 2.51 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 674 मे दर्ज आराजी संख्या 3433 रकबा 0.77 हैक्टेयर एवं खाता सख्या 672 मे दर्ज सम्पूर्ण आराजीयात कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर जो उभय पक्षकारान की संयुक्त पैतृक सम्पत्ति के रूप मे मौजूद रही है, क्योंकि वादी अपीलांट, रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति स्वर्गीय राजसिंह के स्वत्वाधिकार की रही है, क्योंकि स्वर्गीय राजसिंह को सज्जनसिंह ने पुत्रवत अपने यहां पालन पोषण करते हुए जागीरदारी प्रथा के दौरान स्वयं उप क्षैत्र सज्जनसिंह जी की चौकीयां के परिक्षैत्र मे अवस्थित ठिकाने की जायदाद का वारिस मुकर्रर करते हुए स्वयं ही कुछ भूमि उनकी खातेदारी मे अंकित करवा दी एवं शेष भूमि का भी उपयोग उपभोग मालिकाना हक से करने की प्रकिया अपनाते हुए वैधानिक हक हकूक प्रदान किया है। खाता संख्या 672, 673 व 674 मे दर्ज कृषि आराजीयात मे से खाता संख्या 672 मे उल्लेखित किता 3 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि जो जागीरदार सज्जनसिंह ने वादी अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता को दे रखी थी, उसका राजसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासतीय खाता गलत तौर तरीके से फैसल कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 1 का इस खाते मे बिना किसी वैध आधार के 1/2 हक हिस्सा उनके नाम दर्ज करके शेष 1/2 हिस्से मे स्वर्गीय राजसिंह के तीनो पुत्रों भंवरसिंह उर्फ रणजीतसिंह, शंकरसिंह एवं वादी अपीलांट गुमानसिंह के नाम दर्ज कर दिया जो पूर्णतया अवैधानिक है। खाता संख्या 673 मे दर्ज सम्पूर्ण आराजी जो वर्तमान के केवल रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राज हो जाने से उसने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पत्नी जो रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 के रूप मे पक्षकार कायम की गई है जिसे आराजी संख्या 3435 व आराजी संख्या 3436 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर कृषि भूमि का तथाकथित विक्रय पत्र निष्पादित कर अपने साथ सह खातेदारी मे दर्ज करा लिया है जो अवैधानिक है। इसी प्रकार खाता संख्या 674 मे अंकित आराजी संख्या 3433 किता 1 रकबा 0.77 हैक्टेयर भी केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जबकि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात राजसिंह के माध्यम से पक्षकारान को विरासत से प्राप्त हुई है। इसलिए अपीलांट वादी को अपने वैद्य हक हकूको से महरूम रखते हुए जो विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 के हक मे निष्पादित किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है, उसे अन्य स्वत्वधिकार युक्त सम्पत्तियों के साथ उसके निहित हित के प्रतिकूल होने से शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर खातेदारी घोषणा का जो अनुतोष चाहा गया उसे अस्वीकार करके अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने जवाब दावे मे जो वैधानिक आक्षेप अंकित करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया है उसकी पुष्टी मे कोई साक्ष्य, सबूत मौखिक अथवा प्रालेखीय प्रस्तुत नहीं करने पर भी केवल जवाबदावे के आधार पर अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त करने मे कानूनी त्रुटि की है। स्वर्गीय राजसिंह पूर्ण मालिकाना हक से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने से पूर्व जागीरदार के वारिस बनकर खातेदार हुए है इसलिए धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उसका उत्तराधिकार सम्पूर्ण उत्तराधिकारियों को समान रूप से प्राप्त होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर किसी भी प्रकार से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1), 15, 16 के प्रावधान लागू नहीं होते है और न ही उक्त तथ्य के संबंध मे कोई तनकी कायम कर साक्ष्य सबूत वक्त बहस आक्षेपित किया गया है। वादी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों व मौखिक अभिकथनों के समर्थन मे गवाहान मे स्वयं वादी अपीलांट एवं गवाह मोहनसिंह, दलपतसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जबकि तनकी सख्या 1 व 2 का कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं आया फिर भी तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी अपीलांट के विरूद्ध पारित किया है जो अवैधानिक है। साथ ही तनकी संख्या 3 व 4 अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वंय की ओर से कायम करके परिसिद्धि का भार प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के जिम्मे रखने पर बिना किसी साक्ष्य सबूत के प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रमाणित कराया जाना अंकित किया है जो पूर्णतया अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके पिता सज्जन सिंह ने जरिये पंजीकृत दानपत्र हस्तांतरित की थी जो। उक्त पंजीकृत दानपत्र के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत होकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज हो गई। इस प्रकार उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से उसे उक्त आराजीयात को दीगर को हस्तांतरित करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पूर्ण अधिकार होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को विक्रय कर दी । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से उक्त आराजीयात विधिवत क्रय की है। उक्त विक्रय पत्र कानूनी रूप से वैद्य है जिसे शून्य घोषित करवाने व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना बताकर खातेदारी घोषणा की दाद चाहने हेतु वादपत्र अपीलांट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे खातेदारी घोषणा चाहने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होना मानकर व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विकित आराजीयात को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होना मानकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांट वादी की पैतृक सम्पत्ति होना दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 5 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2013 को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ठ है कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके पिता सज्जन सिंह ने जरिये पंजीकृत दानपत्र दिनांक 01.06.1985 पंजीयन दिनांक 10.06.1985 से हस्तांतरित की थी । उक्त पंजीकृत दानपत्र के आधार पर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से उसे उक्त कृषि आराजीयात को दीगर को हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2011 से उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को विक्रय कर दी । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से उक्त विवादित कृषि आराजीयात विधिवत क्रय की है। उक्त विक्रय पत्र कानूनी रूप से वैद्य है जिसे शून्य घोषित किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना बताकर व अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पिता राजसिंह को सज्जन सिंह का गोदपुत्र होना बताकर खातेदारी घोषणा चाहने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके पिता राजसिंह का सज्जन सिंह के गोद जाना प्रमाणित होता हो। साथ ही वादी अपीलांट ने विवादित कृषि आराजीयात को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना भी प्रमाणित नहीं करवाया है, इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि खातेदार सज्जनसिंह की पुत्री है जिसे सज्जनसिंह ने विवादित कृषि आराजीयात जरिये पंजीकृत दानपत्र हस्तांतरित की है जिससे विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होना प्रमाणित होता है, जिसे हस्तांतरित करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्ण अधिकार प्राप्त होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2011 से विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को विक्रय की है उक्त विक्रय पत्र वैद्य दस्तावेज है । वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होने से व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रित आराजीयात को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांट वादी की पैतृक सम्पत्ति होना दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 101/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2013 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 155/2013 /डिक्री

श्री गुमानसिंह पिता स्वर्गीय राजसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जनसिंहजी की चौकीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री भंवरकंवर पत्नी स्वर्गीय राजसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जनसिंहजी की चौकीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय –

1/1. सिद्धुकंवर पुत्री राजसिंह पत्नी नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बानीणा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

1/2. नन्दाकुंवर पुत्री राजसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी लाम्बीया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गंगरार दि. 31-07-2013

प्रकरण सं. 101/2011 अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 17-11-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश दायमा रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ~~चम्पालाल जार रेस्पो० अधिवक्ता~~ स.1-4 शम्भूमल स्वर्णकार - राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० -5 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 101/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 31-7-2013 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि — रुपये हैं, — द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे — द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 17-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 17-11-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.